

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(3)/स.सू/73/आ.क./ 8884-9186

दिनांक : 17/02/2020

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.14(4)एफ.डी./ (रूल्स) 2008 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में सहायक सांख्यिकी अधिकारी को वेतन बेण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 3200/- के स्थान पर ग्रेड वेतन 3600/- संशोधित किया गया है, जो दिनांक 01.09.2006 से ही प्रभावी है।

अतः जो कृषि अन्वेषक दिनांक 01.09.2006 को सहायक सांख्यिकी अधिकारी के ग्रेड वेतन 3200/- रुपये चयनित वेतनमान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें दिनांक 01.09.2006 से ग्रेड वेतन 3200/- के स्थान पर ग्रेड वेतन 3600/- रुपये स्वीकृत की जाती है। इन्हें दिनांक 01.09.2006 से 31.12.2006 का एरियर देय नहीं होगा तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में चतुर्थ संशोधन अनुसार दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 तक कोई एरियर देय नहीं होगा।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक प.2(3)/स.सू/73/आ.क./ 8884-9186

दिनांक : 17/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी कोटा।
2. उप निदेशक कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
3. सहायक निदेशक कृषि विस्तार
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति
5. श्री..... कृषि अन्वेषक

6. ACP को आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

7. आर.की पत्रावली।

(बी.एल.कुमावत)

सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन)